न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी– श्री प्रमोद कुमार,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 209 / 2023

प्रार्थीगण	बनाम विप्रार्थीगण
1. भेराराम पुत्र मोडाराम उम्र 60 वर्ष 2. रावताराम मोडाराम उम्र 70 वर्ष 3. कोहम्बी पत्नि गोकलाराम उम्र 90 वर्ष जातियान जाट निवासी जोगासर तहसील सिणधरी जिला बालोतरा बनाम	1. फूसाराम पुत्र हेमाराम उम्र 60 वर्ष 2. करनाराम पुत्र भूराराम उम्र 58 वर्ष जाति मेघवाल निवासी जोगासर, तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 3. चुतराराम पुत्र शिवजीराम उम्र 47 वर्ष 4. मंगलाराम पुत्र खेराजराम उम्र 61 वर्ष 5. मंगलाराम पुत्र पदमाराम उम्र 60 वर्ष 6. भीयाराम पुत्र पदमाराम उम्र 55 वर्ष 7. मोतीराम पुत्र घमण्डाराम उम्र 40 वर्ष 8. दुर्गाराम पुत्र घमण्डाराम उम्र 48 वर्ष 9. खेमाराम पुत्र कुंभाराम उम्र 50 वर्ष जाति जाट निवासी जोगासर तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 10. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिणधरी 11. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बाडमेर 12. तहसीलदार सिणधरी जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री भंवरलाल सारण वकील प्रार्थीगण उपस्थित।
2. विप्रार्थी सं. 12 के पैरोकार सरकार उप0। शेष एकतरफा।

निर्णय

दिनांक– 31.01.2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:43:09 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार [illegible] कि प्रार्थी ने एक राजस्व वाद धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया [illegible] जिसमें वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्ट्या वाद में प्रार्थी की सफलता [illegible] संभावना है। कि प्रार्थीगण ग्राम जोगासर व जैरूपोणियों का तला तहसील सिणधरी के मूल निवासी है व [illegible] के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि मौजा जोगासर में खसरा संख्या 603 रकबा 2.5[illegible] हैक्टेयर तथा मौजा जैरूपोणियों का तला में खसरा संख्या 872⁄404 रकबा 1. 8122 हैक्टेयर की आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का वक्त सेन्टलमेंट से लेकर आज दिन तक लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। कि उक्त खसरा की भूमि उपजाऊ है जिस पर प्रार्थीगण की ढाणीयां, टांके

सहायक कलक्टर
सिणधरी

व पशुबाड़े आदि बने हुऐ है। वर्तमान में विप्रार्थीगण संख्या 10 से 11 के द्वारा अपने चेहतों विप्रार्थीगण संख्या 1 से 9 को निजी लाभ पहुंचाने की नियत से डामर सडक स्वीकृत करवाकर निर्माण करवाना प्रारम्भ किया तथा सडक का निर्माण प्रार्थीगण की खातेदारी में करने पर आमादा है जबकि सडक के लिये प्रतिवादीगण के सेढे से लगता हुआ अलग से ग्राम जोगासर के खसरा संख्या 605 किस्म गै.मु. रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, उक्त दर्ज रास्ता की भूमि पर विप्रार्थीगण पक्की सड़क निर्माण न कर प्रार्थीगण की कब्जा सुदा खातेदारी खेत मौजा जोगासर के खसरा संख्या 605 में बिना किसी कटाण मार्ग व बिना सरकारी रास्ते के ताकत के बल पर जबरन सड़क का निर्माण करवाने पर उतारू है जबकि विप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की कृषि भूमि पर सडक निर्माण करने हेतु किसी प्रकार विधिक कार्यवाही (किस्म परिवर्तन) नहीं की है एवं समपूर्ण भूमि से आगे बढते हुये प्रार्थीगण की भूमि में सड़क का निर्माण करने पर प्रयासरत है। कि प्रार्थीगण ने अपने खातेदारी खेत ग्राम जैरूपोणियों का तला के खसरा संख्या 872/404 व ग्राम जोगासर के खसरा संख्या 603 के सीमाओं को लेकर पूर्व में विप्रार्थीगण के विरूद्ध अत्यधिक विवाद होने से आहत होकर प्रार्थीगण ने सक्षम न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी में नेखमबन्दी का आवेदन संख्या 203/2013 बअनवान कोहम्बी बनाम धर्माराम वगैरा व राजस्व आवेदन संख्या 202/13 बअनवान रावताराम बनाम फूसाराम वगैरा का पेश किया जिस पर न्यायालय श्री के आदेश दिनांक 25.06.2013 द्वारा प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी हेतु तहसीलदार सिणधरी को आदेशित किया लेकिन तहसीलदार सिणधरी द्वारा आज दिन तक नेखमबन्दी आदेश पालना नहीं हो पाई, व्यथित होकर प्रार्थीगण ने दिनांक 22.06.2022 को तहसीलदार सिणधरी से नेखमबन्दी आदेश की पालना बाबत् निवेदन किया जिस पर तहसीलदार सिणधरी ने भू–अभिलेख निरीक्षक के नेतृत्व में प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी भूमि की पालना हेतु टीम गठित कर नेखमबन्दी पालना का 22.06.2022 को आदेश प्रदान किया लेकिन मौके पर फसल खड़ी होने से पालना कार्यवाही सम्भव नहीं हो पाई, मौका पाकर विप्रार्थीगण जबरन नेखमबन्दी की कार्यवाही से पूर्व ही प्रार्थीगण की खातेदारी सीमाओ जबरन सड़क निर्माण करने पर ऊतारू है जबकि प्रार्थीगण ने सक्षम न्यायालय से अपनी खातेदारी की पक्की नेखमबन्दी का आदेश पारित करवाया है, उक्त आदेश की पालना कर नेखमबन्दी कार्यवाही से पूर्व विप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के कब्जा काश्त खातेदारी खेत में जबरन सड़क निर्माण करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। इस प्रकार विप्रार्थीगण संख्या 10 व 11 द्वारा अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति करने के लिये तथा अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से कटाण रास्ता की भूमि ग्राम जोगासर के खसरा संख्या 605 किस्म गै.मु. रास्ता के उपलब्ध होते हुऐ भी प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा जोगासर में खसरा संख्या 603 रकबा 2.5564 हैक्टेयर तथा मौजा जैरूपोणियों का तला में खसरा संख्या 872/404 रकबा 1.8122 हैक्टेयर भूमि पर पक्की डामर सडक बनायी जानी प्रारम्भ कर दी गई तथा सडक का निर्माण कार्य विप्रार्थी संख्या 10 से 11 द्वारा स्वीकृत किया जाकर मौके पर निर्माण कार्य किया जाने लगा। विप्रार्थीगण संख्या 10 व 11 ने उक्त सडक का निर्माण प्रार्थीगण के खेत मौजा जोगासर में खसरा संख्या 603 रकबा 2.5564 [illegible] तथा मौजा जैरूपोणियों का तला में खसरा संख्या 872/404 रकबा 1.8122 [illegible] प्रार्थीगण के खातेदारी के खेत में चिन्हित कर दिया तथा विप्रार्थीगण संख्या 10 से 11 [illegible] विप्रार्थीगण संख्या 1 से 9 को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य [illegible] भूमि को बिना समर्पण व किस्म परिवर्तन करवाये एवं बिना किसी प्रकार मुआवजा दिये [illegible] पर ताकत के बल पर सड़क का निर्माण करवाने पर आमादा है जबकि प्रार्थीगण की कृषि भूमि में किसी भी प्रकार का कटाण/समर्पण आदि किया हुआ नहीं है, जबकि प्रार्थीगण के सेढे पर ग्राम जोगासर के खसरा संख्या 605 किस्म गै.मु. रास्ता जो कटाण रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, विप्रार्थीगण द्वारा जबरन प्रार्थीगण के खेत के बीचों बीच बिना किसी विधिक अधिकार के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:43:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

बरन सडक निर्माण करवाना चाहते है। जिससे प्रार्थीगण को भारी अपूरणीय क्षति होगी और उसकी पूर्ति मुदा सम्भव नहीं है। इसके विपरीत यदि विप्रार्थीगण को पांबदित किया जावें कि तो इससे विप्रार्थीगण को किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी। कि सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है क्योंकि प्रार्थीगण मौजा जोगासर में खसरा संख्या 603 रकबा 2.5564 हैक्टेयर तथा मौजा जैरूपोणियों का तला में खसरा संख्या 872/404 रकबा 1.8122 हैक्टेयर भूमि के रिकार्डेड खातेदार है एवं अपनी खातेदारी भूमि का उपभोग एवं उपयोग करने का उन्हें विधि द्वारा पूर्ण अधिकार दिया गया है एवं विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के खेतों के उपयोग व उपभोग संबंधी अधिकार में जबरन हस्तक्षेप किया जा रहा है। अत: अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश स्वीकार कर मूल वाद विचारण की अवधि तक प्रार्थीगण के पक्ष में इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावें कि विप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा जोगासर में खसरा संख्या 603 रकबा 2.5564 हैक्टेयर तथा मौजा जैरूपोणियों का तला में खसरा संख्या 872/404 रकबा 1.8122 हैक्टेयर भूमि में किसी तरह का ग्रेवल सडक निर्माण कार्य नहीं करें एवं न ही किसी अन्य प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण करें तथा विप्रार्थीगण किसी प्रकार से प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें तथा प्रार्थीगण के खेत की मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी सं. 1 से 11 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमनें प्रार्थीगण की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया। जहां तक पक्षकारान के के मध्य नेखमबंदी के प्रकरण के बाद सड़क निर्माण किया जाने की इस्तदुआ है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण इन तथ्यों को दस्तावेजी साक्ष्यों के प्रमाणित नहीं कर पाया कि मौके पर नेखमबंदी कार्यवाही किस स्तर पर लम्बित रही। जहां तक प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किये जाने का प्रश्न है, उसके निस्तारण की कार्यवाही मूल वाद में जरिये साक्ष्य/सबूतों के आधार पर तय करते हुए निराकरण किया जा सकता है? ऐसी स्थिति में प्रथम द्वष्टया प्रकरण में अन्तरिम स्थगन आदेश जारी किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर एवं नम्बर से कम हो।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 31.01.2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:43:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी